(81)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016/विविध आवेदन-पत्र

विविध-9015-II/17

श्री ब्रजेन्द्र सिंह चौहान
द्वारा आज दि. 11/1/17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल

रविराज पुत्र श्री धनई जैसवाल,
निवासी ग्राम भदौरा, थाना मझौली,
तहसील कुसमी, जिला सीधी (म0प्र0)
--- आवेदक

विरूद्ध

1- शिव कुमार पुत्र श्री पचम साहू,
2- देवराज पुत्र श्री पचम साहू,
निवासीगण - ग्राम भदौरा, तहसील कुसमी, जिला सीधी (म0प्र0)
3- सूर्यदीन पुत्र निचकू चमार,
4- नन्दलाल पुत्र निचकू चमार,
5- लोलर पुत्र निचकू चमार,
6- सम्पति पुत्र निचकू चमार,
7- अमृतलाल पुत्र देवराज साहू,
निवासीगण-ग्राम भदौरा, तहसील कुसमी, जिला सीधी (म0प्र0)
-- अनावेदक/रेस्पोडेन्ट्स

ब्रजेन्द्र सिंह चौहान
Adv.
11/1/17

विविध आवेदन-पत्र वास्ते माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3828/दो/2015/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.12.2016 में भूलवस एक सर्वे नम्बर टायपिंग त्रुटि सुधारने बावत्।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से विविध आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यहकि, आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रकरण क्रमांक 3828/दो/ 2015/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.12.2016 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

2- यहकि, आवेदक द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 295 रकबा 0.14 है0 का उल्लेख

XXXIX-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 9015—II /2017 विविध — जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27—1—2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ब्रजेन्द्र सिंह धाकड़ द्वारा विविध आवेदन—पत्र म.प्र.भू—राजस्व संहिता—1959 के तहत प्रस्तुत किया गया। 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि,आवेदक के स्वत्व के सर्वे कमाक 295 रकवा 0.14 हैक्टर, 296 रकवा 0.05 हैक्टर, 297 रकवा 0.02 हैक्टर एवं सर्वे कमांक 299 रकवा 0.09 हैक्टर निगरानी मेमो एवं लिखित वहस में अंकित है। किंतु न्यायालय राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक निगरानी 3828—दो/2015 में पारित आदेश दिनांक 22—12—2016 के पेज नं—2 के पैरा न.—3 की लाईन नबंर—7 पर एवं पेज न.—3 की लाइन नंबर—7 में सर्वे कमांक 299 रकवा 0.09 हैक्टर तथा पेज नंबर—4 की लाइन नंबर—4 पर सर्वे कमांक 295 रकवा 0.14 हैक्टर टंकण त्रुटि से रह गया है। जिसे अंकित करने का अनुरोध किया गया है। 3/ आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिनांक 22—12—2016 के पेज न.—2 के पैरा न.—3 की लाईन नंबर —7 पर तथा पेज न.— 3 की लाइन नंबर—7 में सर्वे कमाक 295 रकवा 0.14 हैक्टर, 296 रकवा 0.05 हैक्टर, 297 रकवा 0.02 हैक्टर के साथ सर्वे कमांक 299 रकवा 0.09 हैक्टर, पेज नंवर—4 की लाइन नवर—4 पर सर्वे कमांक 295 रकवा 0.14 हैक्टर पढा व लिखा जावें। यह आदेश पत्रिका आदेश दिनांक 22—12—2016 का मूल अंग मानी जावेंगी। सदस्य	